कार्यालय-उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं0 61/18 दिनांकः— 18-5-2018

धारा 53 RTA

:: निर्णय /डिकी :: पु-सं0 61/18

श्री [illegible] पटेल

सह खातेदारों ने न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत केम्प [illegible] में उपस्थित होकर सहमति बटवारा करने हेतु वाद पेश किया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहखातेदारों द्वारा ग्राम [illegible] की जमाबंदी संवत् 2071-74 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति तथा बंटवारा स्कीम जिसमें प्रत्येक का आने वाला हिस्सा एवं लगान को दर्शाया गया है तथा नक्शा ट्रेस जिसमें प्रत्येक के आने वाले हिस्सें को पृथक –2 रंग से दर्शाया गया है प्रस्तुत किया गया । बंटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस के संबंध में पटवारी हल्का एवं भू0अ0 निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट ली गई। एवं तहसीलदार द्वारा सहमति अनुसार बटवारें की अभिशंषा की गई ।

ग्राम [illegible] पटवार हल्का [illegible] की जमाबंदी सम्वत् 2071-74 की प्रमाणित प्रति अनुसार खाता संख्या 291 नया 348 पुराना खसरा नं0 1115, 1527, 1528, 1713, 1931, 2101, 3096, 3105, 3110, 3113, 3117, 3578, 3592, 3600, 3603, 3618 योग किता 16 योग रकबा 09 बीघा .... बिस्वा में श्री [illegible]

सहखातेदार है। बंटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम [illegible] के खाता नं0. 291 नया 348 पुराना के खसरा नं0 1115, 1527, 1528, 1713, 1931, 2101, 3096, 3105, 3110, 3113, 3117, 3578, 3592, 3600, 3603, 3618 योग किता 16 योग रकबा 09 बीघा – बिस्वा का सहखातेदारो के मध्य प्रस्तुत बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस अनुसार बटवारा किया जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर निर्णय /डिकी की पालना सुनिश्चित कर राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल–दरामद की कार्यवाही करे। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस निर्णय/डिकी का अभिन्न अंग रहेगा ।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर